MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF MARCH, 2018

(1) Circulars:-

- (i) This Ministry has issued General Circular No. 01/2018 dated 28.03.2018 for extending the time period for filing of AoC-4 XBRL E-Forms using Ind AS under the Companies Act, 2013 for the financial year 2016-17, without additional fee till 30th April, 2018.
- (ii) This Ministry vide General Circular No. 02/2018 dated 28.03.2018 has extended the Condonation of Delay Scheme, 2018 upto 30th April, 2018 on the requests of various stakeholders.

(2) Notifications:-

- (i) A notification vide S.O. No. 1023(E), was issued on 08.03.2018 whereby this Ministry has specified new nominees of ICAI, ICSI and RBI on NACAS in pursuance of Section 210A of the Companies Act, 1956.
- (ii) A notification vide G.S.R. No. 213(E), was issued on 08.03.2018 whereby this Ministry has amended Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2015 to provide that a company which has once filed its financial statements in XBRL mode shall continue to file the same in XBRL mode in subsequent years also.
- (iii) A notification vide S.O. no. 1316(E) was issued on 21.03.2018 whereby the provisions of sub-section (3) and (11) of Section 132 relating to creation of post of Chairman, Member and Secretary of NFRA have been commenced.
- (iv) A notification vide G.S.R. no. 262(E) was issued on 21.03.2018 whereby the National Financial Reporting Authority (Manner of Appointment and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2018 have been notified. These Rules deals with composition of the Authority, manner of appointment, tenure etc. of creation of post of Chairman, Member and Secretary of NFRA.
- (v) A notification vide G.S.R. no. 284(E) was issued on 23.03.2018 whereby Rule 9 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 has been amended to provide that an application for reservation of name shall be made through web service available at www.mca.gov.in by using Form RUN (Reserve Unique Name).
- (vi) A notification was issued on 28.03.2018 whereby the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 has been amended to bring back Ind AS 115 Revenue from Contracts with Customers and replace Ind AS 11, Construction Contracts and Ind AS 18, Revenue.

Further, the amendments to other standards Ind AS 21, The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, Ind AS 112, Disclosure of Interests in Other Entities & Ind AS 28, Investments in Associates and Joint Ventures, Ind AS 40, Investment Property and Ind AS 12, Income Taxes are due to annual improvements made in the corresponding IFRS standards/consequential changes due to Ind AS 115. The Ind AS 115 is going to improve revenue recognition aspects as per the various clauses stated in the said standard. The Indian Companies will benefit from convergence with the single globally applied and comparable standard on a key parameter in financial statement i.e. revenue recognition.

Competition Network (ICN) Annual Conference from 21-23 March 2018 at Hotel Ashok, New Delhi. Over 500 persons attended the Conference from 74 countries. This included Heads of competition agencies, representatives and stakeholders consisting of the legal and economic professionals, international organisations and academics. Shri P. P.Chaudhary, Minister of State for Law & Justice and Corporate Affairs inaugurated the Conference. Valedictory speech at the conference was delivered by Shri Manoj Sinha, Hon'ble Minister of State for Communications and Railways, Government of India.

Each of the five working groups of ICN - Cartel, Merger, Unilateral Conduct, Advocacy, Agency Effectiveness working groups held one plenary and 4-5 breakout sessions in the conference and each plenary and breakout session had speakers from various jurisdictions/countries providing their experience. The deliberations provided insights into various issues related to competition law and policy. Shri Devender Kumar Sikri, Chairperson, CCI presented report of the special project on "Cartel Enforcement and Competition" at the conference. In addition, on the sidelines of the Conference, Competition Commission of India (CCI) conducted meeting of the BRICS nations and bilaterals with EU, US FTC and DoJ.

सं. सीडीएन-27011/2/2018-सीडीएन-एमसीए

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,

डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

तारीखः । 7 अप्रैल, 2018

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मार्च, 2018 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

नीलदान हास

(नीलरतन दास)

भारत सरकार के अवर सचिव

द्रभाषः 23389622

अन्लग्नकः यथोपरोक्त। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

- 1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
 - 2. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
 - 3. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
 - 4. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
 - 5. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
 - 6. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
 - 7. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
 - 8. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
 - 9. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
 - 10. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
 - 11. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
 - 12. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
 - 13. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
 - 14.सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
 - प्रतिलिपि प्रेषितः (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
 - (ii) सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि प्रेषितः निदेशक (ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर "कारपोरेट कार्य मंत्रालय का मार्च, 2018 का नीलयतन होसं (नीलरतन दास) मासिक सार" के अंतर्गत अपलोड करने के लिए

भारत सरकार के अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मार्च, 2018 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

(1) परिपत्रः-

- (i) इस मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत इंडएएस का प्रयोग करते हुए एओसी-4 एक्सबीआरएल ई-प्ररूप दायर करने हेतु समयाविध को बिना अतिरिक्त शुल्क के दिनांक 30 अप्रैल, 2018 तक बढाने के लिए दिनांक 28.03.2018 को सामान्य परिपत्र संख्या 01/2018 जारी किया है।
- (ii) इस मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों के अनुरोध पर दिनांक 28.03.2018 के सामान्य परिपत्र संख्या 02/2018 द्वारा देरी के लिए क्षमा योजना, 2018 को 30 अप्रैल, 2018 तक बढा दिया है।

(2) अधिसूचनाएं:-

- (i) दिनांक 08.03.2018 को का.आ. संख्या 1023(अ) द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई जिससे इस मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 210क के अनुसरण में एनएसीएएस पर आईसीएआई, आईसीएसआई और आरबीआई के नए नामितों का उल्लेख किया है।
- (ii) दिनांक 08.03.2018 को सा.का.नि.संख्या 213(अ) के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई जिससे इस मंत्रालय ने कंपनी(दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) नियम, 2015 में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया है कि कोई कंपनी जिसने अपना वित्तीय विवरण एक बार एक्सबीआरएल माध्यम में दायर कर दिया है वह आने वाले वर्षों में भी अपना वित्तीय विवरण एक्सबीआरएल माध्यम से ही दायर करेगी।
- (iii) दिनांक 21.03.2018 को का.आ. संख्या 1316(अ) द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई जिससे एनएफआरए के अध्यक्ष, सदस्य और सचिव के पद सृजन से संबंधित धारा 132 की उपधारा (3) और (11) के प्रावधान प्रारंभ किए गए।
- (iv) दिनांक 21.03.2018 को सा.का.नि. संख्या 262(अ) द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई जिससे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की रीति और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2018 अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम एनएफआरए के गठन, प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य और सचिव के पदों के सृजन, नियुक्ति की रीति, कार्यकाल आदि से संबंधित हैं।
- (v) दिनांक 23.03.2018 को सा.का.नि. संख्या 284(अ) द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई जिससे कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 9 में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया कि नाम

आरिक्षित करने के लिए आवेदन प्ररूप आरयूएन का प्रयोग करते हुए <u>www.mca.gov.in</u> पर उपलब्ध वेबसेवा के माध्यम से किया जाएगा।

(vi) दिनांक 28.03.2018 को एक अधिसूचना जारी की गई जिससे उपभोक्ताओं के साथ संविदा से इंडएएस 115 राजस्व वापस लाने तथा इंडएएस 11, विनिर्माण संविदा और इंडएएस 18, राजस्व प्रतिस्थापित करने के लिए कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 में संशोधन किया गया है।

इसके अतिरिक्त अन्य मानक इंडएएस21, विदेश विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव, इंडएएस 112, अन्य निकायों में हितों का प्रकटीकरण एवं इंडएएस 28, सहायक और संयुक्त उद्यमों में निवेश, इंडएएस40, निवेश आस्ति और इंडएएस12, आयकरों में इंडएएस115 में प्रासंगिक आईएफआरएस मानकों/परिणामी परिवर्तनों से किए गए वार्षिक सुधारों के कारण संशोधन किए गए हैं। इंडएएस115 उपर्युक्त मानक में उल्लिखित विभिन्न खंडों के अनुसार राजस्व पहचान पक्षों में सुधार करने वाला है। भारतीय कंपनियां वित्तीय विवरण में मुख्य मापदंड अर्थात् राजस्व पहचान के एकल वैश्विक रूप से लागू और तुलनीय मानक अपनाने से लाभांवित होंगी।

(3) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने दिनांक 21-23 मार्च, 2018 तक होटल अशोका, नई दिल्ली में 17वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क (आईसीएन) वार्षिक सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। सम्मेलन में 74 देशों से 500 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। इनमें कानूनी और आर्थिक व्यवसायिकों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिक्षाविद् सिहत प्रतिस्पर्धा एंजेंसियों के प्रमुख, प्रतिनिधि और हितधारक शामिल थे। श्री पी.पी. चौधरी, विधि एवं न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री ने सम्मेलन प्रारंभ किया। सम्मेलन में धन्यवाद भाषण माननीय श्री मनोज सिन्हा, संचार और रेल राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिया गया।

आईसीएन के सभी पांच कार्यशील समूह- उत्पाद संघ, विलयन, एकपक्षीय व्यवहार, समर्थन, एजेंसी प्रभाविता, ने सम्मेलन में एक पूर्ण और 4-5 ब्रेकआउट सत्रों का आयोजन किया और प्रत्येक पूर्ण और ब्रेकआउट सत्र में अपने अनुभव साझा करने वाले विभिन्न क्षेत्राधिकारों/देशों से वक्ता थे। विचार-विमर्श ने प्रतिस्पर्धा विधि और नीति से संबंधित विभिन्न मामलों में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई। श्री देवेंद्र कुमार सीकरी, अध्यक्ष, सीसीआई ने सम्मेलन में "उत्पाद-संघ प्रवर्तन और प्रतिस्पर्धा" पर एक विशेष परियोजना की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त, सम्मेलन में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ब्रिक्स राष्ट्रों और यूरोपीय यूनियन, यूएसएफटीसी और डीओजे के साथ द्विपक्षीय बैठकें संपन्न की थी।